



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082026-275737
CG-DL-E-25082026-275737

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4501]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4501]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4686(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के भागलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133E के कि.मी. 0 से कि.मी.11.735 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर भागलपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के भागलपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-133E के कि.मी. 0 से कि.मी.11.735 लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: भागलपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जगदीशपुर					
गांव का नाम: जमुनी					
1	287	सरकारी	गैरमजरुआ	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
2	289	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0034 (हेक्टेयर)	0.0034
3	292	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0026 (हेक्टेयर)	0.0026
4	352	सरकारी	आवासीय	0.0018 (हेक्टेयर)	0.0018
5	371	निजी	एग्रीकल्चर	0.0039 (हेक्टेयर)	0.0039
6	372	निजी	एग्रीकल्चर	0.0242 (हेक्टेयर)	0.0242
7	453	सरकारी	गैरमजरुआ	0.0024 (हेक्टेयर)	0.0024
8	457	निजी	एग्रीकल्चर	0.0014 (हेक्टेयर)	0.0014
9	458	निजी	एग्रीकल्चर	0.0023 (हेक्टेयर)	0.0023
10	473	सरकारी	गैरमजरुआ (नदी)	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
गांव का नाम: पिसता/204					
11	127	सरकारी	गैरमजरुआ	0.0178 (हेक्टेयर)	0.0178
गांव का नाम: जगदीशपुर					
12	126/1197	सरकारी	गैरमजरुआ	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
13	387	निजी	आवासीय	0.0008 (हेक्टेयर)	0.0008
गांव का नाम: फतेहपुर					

14	2	सरकारी	गैरमजरुआ (नदी)	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
गांव का नाम: पुरैनी					
15	2111	सरकारी	गैरमजरुआ	0.0012 (हेक्टेयर)	0.0012
16	2112	निजी	आवासीय	0.0027 (हेक्टेयर)	0.0027
17	2113	निजी	आवासीय	0.0014 (हेक्टेयर)	0.0014
18	2128	सरकारी	गैरमजरुआ	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017
19	2142	सरकारी	आवासीय	0.0028 (हेक्टेयर)	0.0028
20	2143	सरकारी	आवासीय	0.0072 (हेक्टेयर)	0.0072
21	2144	सरकारी	आवासीय	0.0014 (हेक्टेयर)	0.0014
22	2145	सरकारी	आवासीय	0.0045 (हेक्टेयर)	0.0045
23	2146	निजी	एग्रीकल्चर	0.0012 (हेक्टेयर)	0.0012
24	2147	निजी	आवासीय	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
25	2148	सरकारी	गैरमजरुआ	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
26	2149	सरकारी	गैरमजरुआ	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
27	2150	सरकारी	गैरमजरुआ	0.0011 (हेक्टेयर)	0.0011
28	2151	निजी	एग्रीकल्चर	0.0085 (हेक्टेयर)	0.0085
29	2495	सरकारी	गैरमजरुआ	0.0034 (हेक्टेयर)	0.0034
30	2918	निजी	एग्रीकल्चर	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
31	3307	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0046 (हेक्टेयर)	0.0046
32	5727	सरकारी	गैरमजरुआ	0.1895 (हेक्टेयर)	0.1895
33	5741	निजी	एग्रीकल्चर	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
34	5745	निजी	एग्रीकल्चर	0.0009 (हेक्टेयर)	0.0009
35	5746	निजी	एग्रीकल्चर	0.0033 (हेक्टेयर)	0.0033
Total					0.3224

[फा. सं. : RW/PAT/NH/133E/KM 0.00-63.600/LA/2020-21/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4686(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH133E in the stretch of land from Km. 0 to Km. 11.735 in the district of Bhagalpur in the state of Bihar. hereby declares its intention to acquire such land

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, district land acquisition officer, Bhagalpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land for construction of NH-133E from Km. 0 to Km. 11.735 in the district of Bhagalpur in the state of Bihar"

State: BIHAR			District: BHAGALPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jagdishpur					
Village: Jamuni					
1	287	Government	Gairmajarua	0.0004 (Hectare)	0.0004
2	289	Government	Agriculture	0.0034 (Hectare)	0.0034
3	292	Government	Agriculture	0.0026 (Hectare)	0.0026
4	352	Government	Avasiya	0.0018 (Hectare)	0.0018
5	371	Private	Agriculture	0.0039 (Hectare)	0.0039
6	372	Private	Agriculture	0.0242 (Hectare)	0.0242
7	453	Government	Gairmajarua	0.0024 (Hectare)	0.0024
8	457	Private	Agriculture	0.0014 (Hectare)	0.0014
9	458	Private	Agriculture	0.0023 (Hectare)	0.0023
10	473	Government	Gairmajarua (Nadi)	0.004 (Hectare)	0.004
Village: Pista/204					

11	127	Government	Gairmajarua	0.0178 (Hectare)	0.0178
Village: Jagdishpur					
12	126/1197	Government	Gairmajarua	0.004 (Hectare)	0.004
13	387	Private	Avasiya	0.0008 (Hectare)	0.0008
Village: Fatehpur					
14	2	Government	Gairmajarua (Nadi)	0.014 (Hectare)	0.014
Village: Pureni					
15	2111	Government	Gairmajarua	0.0012 (Hectare)	0.0012
16	2112	Private	Avasiya	0.0027 (Hectare)	0.0027
17	2113	Private	Avasiya	0.0014 (Hectare)	0.0014
18	2128	Government	Gairmajarua	0.0017 (Hectare)	0.0017
19	2142	Government	Avasiya	0.0028 (Hectare)	0.0028
20	2143	Government	Avasiya	0.0072 (Hectare)	0.0072
21	2144	Government	Avasiya	0.0014 (Hectare)	0.0014
22	2145	Government	Avasiya	0.0045 (Hectare)	0.0045
23	2146	Private	Agriculture	0.0012 (Hectare)	0.0012
24	2147	Private	Avasiya	0.0015 (Hectare)	0.0015
25	2148	Government	Gairmajarua	0.0006 (Hectare)	0.0006
26	2149	Government	Gairmajarua	0.0005 (Hectare)	0.0005
27	2150	Government	Gairmajarua	0.0011 (Hectare)	0.0011
28	2151	Private	Agriculture	0.0085 (Hectare)	0.0085
29	2495	Government	Gairmajarua	0.0034 (Hectare)	0.0034
30	2918	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
31	3307	Government	Agriculture	0.0046 (Hectare)	0.0046
32	5727	Government	Gairmajarua	0.1895 (Hectare)	0.1895
33	5741	Private	Agriculture	0.0004 (Hectare)	0.0004
34	5745	Private	Agriculture	0.0009 (Hectare)	0.0009
35	5746	Private	Agriculture	0.0033 (Hectare)	0.0033
Total					0.3224

[F. No. RW/PAT/NH/133E/KM 0.00-63.600/LA/2020-21/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director